(☏ 022-22862703)
ई-मेल/e-mail-irw@dae.gov.in
फैक्स/Fax No. - 2204 8476 &
2282 4354

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
**GOVERNMENT OF INDIA**
परमाणु ऊर्जा विभाग
**DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY**
औ. सं. एवं क. अनुभाग
**IR&W SECTION**

अणुशक्ति भवन
Anushakti Bhavan,
छ. शि. म. मार्ग
C.S.M. Marg,
मुंबई/Mumbai - 400001

No. IRW-201(11)/1/2018-IR&W/1603 February 6, 2018

## कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

**विषय : सीएचएसएस नियम संख्या 4.1(बी) में संशोधन**
Subject : Amendment in CHSS Rule no. 4.1(b).

---

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (सीएचएसएस) के उद्देश्य के लिए बच्चों को शामिल करने हेतु सीएचएसएस नियम संख्या 4.1 (बी) के अंतर्गत वर्तमान प्रावधानों के संदर्भ में, सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे को सीएचएसएस सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभाग में अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

With reference to the existing provisions under CHSS Rule no. 4.1(b), regarding inclusion of children for the purpose of the scheme, reference have been received in the Department to extend CHSS facilities to child born through surrogacy.

2. विभाग में इस पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, सीएचएसएस नियम संख्या 4.1(बी) में निम्नवत् संशोधन करने का निर्णय लिया गया है :

*"बच्चे, सौतेले बच्चे, कानूनी रूप से दत्तक लिए गए बच्चे तथा **सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे** जिनकी उम्र 25 वर्ष तक है, अधिकतम दो ज्येष्ठ जीवित बच्चों तक सीमित। प्रत्येक अतिरिक्त बच्चे के लिए एक अतिरिक्त दर के गुणांक में प्रत्येक बच्चे के संबंध में अतिरिक्त अंशदान के भुगतान पर लाभ पाने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि हेतु स्वीकृति दी जा सकती है। तथापि, सामान्य अपवाद के रूप में, पहले से एक जीवित बच्चा होने के बाद दूसरे प्रसव में जुड़वा/दो से अधिक बच्चों के जन्म के मामले में बच्चों को शामिल करने हेतु इस अंशदान का भुगतान लागू नहीं होगा। 18 वर्ष से अधिक के तथा 25 वर्ष तक के बच्चों की इस योजना के अंतर्गत पात्रता जारी रहेगी, बशर्ते कि वे रोजगार से आर्थिक लाभ न प्राप्त करते हो। तथापि, किसी भी कठिन परिस्थिति में, तर्कसंगत कारणों के लिए किन्हीं व्यक्तिगत मामलों में उम्र की अधिकतम सीमा के संबंध में इकाई प्रमुख की सिफारिशों के आधार पर विभाग द्वारा छूट दी जाएगी।"*

After careful consideration in the Department, it has been decided to revise the CHSS Rule No. 4.1(b) as under :

*"Children, step-children, legally adopted children and* ***children born through surrogacy*** *upto 25 years of age, restricted to two eldest surviving children. Addition in the number of children can be allowed on payment of extra contribution in respect of each child in multiples of one extra rate for each additional child. However, as a general exception, payment of such contribution will not be applicable for inclusion of children in case of twin/triplet birth in the second delivery even though there is already one living child. Children beyond the age of 18 years and upto 25 years will be eligible for continuation under the scheme provided they are not gainfully employed. However, in case of any hardship, in individual cases for justifiable reasons a relaxation shall be made by the Department on the basis of recommendation of the Head of the Unit in the matter of upper age limit."*

3. इसे सचिव, पऊवि के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Secretary, DAE.

(राकेश गर्ग Rakesh Garg)
निदेशक (आईआरएंडडब्ल्यू) Director (IR&W)

सीएचएसएस का नियंत्रण करने वाले सभी प्राधिकारी All CHSS Administering Authorities:

(1) निदेशक, बीएआरसी, मुंबई Director, BARC, Mumbai
(2) निदेशक, आईजीकार, कल्पाक्कम Director, IGCAR, Kalpakkam
(3) निदेशक, जीएसओ, कल्पाक्कम Director, GSO, Kalpakkam
(4) मुख्य कार्यकारी, भापाबो, मुंबई Chief Executive, HWB, Mumbai
(5) मुख्य कार्यकारी, एनएफसी, हैदराबाद Chief Executive, NFC, Hyderabad
(6) स्टेशन निदेशक, आरएपीएस, कोटा Station Director, RAPS, Kota
(7) स्टेशन निदेशक, टीएपीएस, तारापुर Station Director, TAPS, Tarapur
(8) निदेशक, एएमडी, हैदरबाद Director, AMD, Hyderabad
(9) निदेशक, आरआरकैट, इंदौर Director, RRCAT, Indore
(10) निदेशक, वीईसीसी, कोलकाता Director, VECC, Kolkata
(11) निदेशक (एचआर), एनपीसीआईएल, मुंबई Director (HR), NPCIL, Mumbai
(12) प्रमुख, चिकित्सा प्रभाग, बीएआरसी Head, Medical Division, BARC
(13) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पऊवि अस्पताल, कल्पाक्कम
Chief Medical Officer, DAE Hospital Kalpakkam

प्रतिलिपि Copy to :

(1) इकाइयों के सभी प्रशासनिक प्रमुख All Administrative Heads of Units
(2) अध्यक्ष, पऊआ तथा सचिव, पऊवि का कार्यालय O/o Chairman, AEC & Secretary, DAE
(3) संयुक्त सचिव (एएंडए), पऊवि के प्रधान निजी सचिव PPS to Joint Secretary (A&A), DAE
(4) निदेशक, आईएमएससी Director, I.M.Sc.
(5) अवर सचिव (प्रशासन), पऊवि US(Adm), DAE
(6) सचिव, कर्मचारी पक्ष, विभागीय परिषद Secretary, Staff Side, DC
(7) महासचिव, एनएफएईई General Secretary, NFAEE